

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 145/2014

तारीख दायरा 10.12.2014

उनवान

परमानन्द पुत्र स्व. हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मकडावद तहसील सांगोद, कोटा।

-वादी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र बलराम जाति धाकड।

2. इन्द्रराज पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड,

3. सीताराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड निवासीगण ग्राम मकडावद तहसील सांगोद

जिला कोटा।

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री ओमप्रकाश शर्मा (वकील वादी)

दिनांक :- 12.04.2021

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुदई पेश होकर आदेश दिया जाता है कि-



माल ग्राम मकडावद पटवार हलका मकडावद तहसील सांगोद की खाता सं. नई 118 पुरानी 122 के ख.न. 622 रकबा 0.67 हैक्टर व ख.न. 624 रकबा 0.30 हैक्टर कुल 2 किता की कुल 0.97 हैक्टर आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये

उपखण्ड अधिकारी  
(अंजना सहरावत)  
सांगोद जिला कोष  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी  
(अंजना सहरावत)  
सांगोद जिला कोष  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद